आत्मनिर्भर भारत अभियान

डॉ. एस.एल. साहू

प्राध्यापक - वाणिज्य

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर, उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना अर्थात किसी और पर आश्रित न होना। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की है, जिससे कि देश के 130 करोड़ नागरिक आत्मनिर्भर हों और हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाएँ । लॉकडाउन की वजह से देश के मजदूर किसान और छोटे कारोबारी बहुत प्रभावित हुए हैं । आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है जो देश की जी.डी.पी. का 10 प्रतिशत है । इस योजना का उद्धेश्य भारत के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वह एक दूसरे का सहारा बन सके । कोविड-19 के कारण छोटे उद्योगों, मजदूर, किसानों और छोटे कारोबारियों को बहुत हानि हुई है । आत्मनिर्भर अभियान के दो चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके है और उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है । देश ने कोविड-19 से अर्थव्यवथा में आये अवसाद से उबरने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है । अब आत्म निर्भर अभियान का तीसरा चरण लागू है । हम सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे मालों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आसपास के बाजारों में इसे बेंच सकते हैं । इस अभियान से आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा किया जा सकता है । यद्यपि भारत को आत्म निर्भर बनाने का सपना महात्मा गांधी ने देखा था । उन्होंने भारत को आत्म निर्भर बनाने हेतु स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया था किन्तु गरीबी और भुखमरी के कारण उनका सपना साकार नहीं हो सका । ऐसा विश्वास है कि आत्म निर्भर भारत अभियान देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।

मुख्यशब्द - आत्मनिर्भर भारत, प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना

आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना अर्थात किसी और पर आश्रित न होना। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की है, जिससे कि देश के 130 करोड़ नागरिक आत्मनिर्भर हों और हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए । लॉकडाउन की वजह से देश के मजदूर किसान और छोटे कारोबारी वहुत प्रभावित हुए हैं । आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है जो देश की जी.डी.पी. का 10 प्रतिशत है ।

इस योजना का उद्देश्य भारत के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वह एक दूसरे का सहारा बन सके । कोविड-19 के कारण छोटे उद्योगों, मजदूर, किसानों और छोटे कारोबारियों को बहुत हानि हुई है ।

वित्तीय बजट घोषणा - केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को वित्तीय बजट की घोषणा की गई है जिसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर योजना के बारे में चर्चा की गयी । कोरोना काल के समय में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार के द्वारा योजना को आरंभ किया गया । भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत् 27.1 लाख करोड़ का निवेश किया गया है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत का योगदान देती है । आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत् मुख्य रूप से किसानों की आय स्तर को ऊँचा करने के लिए एवं महिला सशक्तिकरण, सुशासन और अन्य सभी विकास के कार्यो पर बल दिया गया ।

(I) आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 के अंतर्गत योजनाएं :-

(1) वन नेशन वन राशन कार्ड

(2) किसान क्रेडिट कार्ड योजना

(3) इमरजेन्सी वर्किंग कैपिटल फंडिंग

(4) स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम

(5) लिक्विडिटी इंजेक्शन फार डिस्कॉम

(6) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

(1) वन नेशन वन राशन कार्ड :-यह योजना प्रवासी मजदूरों और उसके परिवार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् देश के किसी भी राज्य में उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये लगाई गई है । राशन कार्ड धारक की पहचान बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा की जाती है । यह मशीन हर उचित मूल्य की दुकान पर होती है । राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा गया है । 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति भी इसमें शामिल किये गये हैं ।

(2) किसान क्रेडिट कार्ड योजना :-के.सी.सी. योजना 1998 में शुरू की गई थी इसके तहत् किसानों को खेती के लिए पहले बिना गारंटी महज एक लाख रूपये मिलते थे । अब इसमें वृद्धि करके 3 लाख रूपये कर दिया गया है यानी अब किसानों को बिना गारंटी भी ज्यादा पैसे मिल सकेंगें । किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, लैण्ड रिकार्ड और फोटो देनी होती है । किसान को खेती के लिए ऋण चाहिये तो साहूकारों की बजाय किसान क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना चाहिये । जिस बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उसकी अधिकारिक बेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अधिकारिक पोर्टल के जरिये आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं । इस योजना

के तहत् मिलने वाले ऋण का उपयोग किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि पदार्थों को खरीदने के लिए कर सकता है । किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत है । शासन उसमें 2 प्रतिशत की सब्सिडी देती है, अगर किसान ने समय पर बैंक को ब्याज सहित ऋण लौटा दिया तो 3 प्रतिशत की और छूट मिल जाती है, इस तरह 4 प्रतिशत ही ब्याज लगता है ।

(3) इमरजेन्सी वर्किंग कैपिटल फंडिंग :- केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए अतिरिक्त 30,000 करोड़ रू. इमरजेन्सी वर्किंग कैपिटल फंडिंग का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के माध्यम से किया है । यह योजना सरकार ने मई 2020 में लागू की है । इस योजना के तहत् देश की 33 राज्य सहकारी बैंक, 351 जिला सहकारी बैंक, और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्त उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना से देश के लगभग 3 करोड़ किसानों को लाभ होने का अनुमान है ।

(4) स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम :-केन्द्र सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और गृह वित्त कम्पनियों की तरलता में सुधार हेतु स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू किया है । इन कम्पनियों को सहायता उपलब्ध कराई जायेगी और उसकी गारंटी भारत सरकार देगी । इस योजना के कियान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कम्पनी ''भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट लिमिटेड द्वारा स्पेशल पर्पज व्हीकल को स्थापित किया गया है । इस योजना के माध्यम से केवल वे ही कम्पनियाँ धन जुटाने की पात्र है जो पिछले दो वित्तीय वर्ष में से किसी एक वर्ष लाभ में रही हो और रेटिंग एजेन्सी द्वारा इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग मिली हो । इन कम्पनियों की तरलता की स्थिति में सुधार होने पर निवेशकों का बाजार की तरफ रूझान बढ़ेगा ।

(5) लिक्विडिटी इंजेक्शन फार डिस्कॉस :- आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत् भारत सरकार ने 90 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । इसके अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा किया जायेगा । इस कोष का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जायेगा ।

(6) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना :- केन्द्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी । यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा रेहड़ी व पटरी (स्ट्रीट वेंडर्स) वालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से सम्बन्धित है । इस योजना का दूसरा नाम ''प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि'' दिया गया है । योजना के तहत् रेहड़ी व पटरी वालों के 20,000 रू. तक का बैंक ऋण दिया जायेगा जिससे वे अपना काम शुरू कर सके । इस ऋण को लेने के लिए कोई भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है इसके लिए केवल आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र देना होता है । इस ऋण को एक साल में चुकाना होगा । 2020 में आयी कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाऊन में सबसे ज्यादा मार गरीब को झेलनी पड़ी है । भारत में गरीबों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो दिन में जब कमाने जाते हैं तभी शाम को अपना पेट भर पाते हैं । इन्हीं श्रेणी में रेहड़ी व पटरी वाले भी आते हैं जो अपने छोटे-छोटे व्यवसाय सड़क किनारे लगाते हैं, उसी से वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं ।

(II) आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत योजनायें :- आत्म निर्भर भारत अभियान के दूसरे चरण में केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं को लागू किया गया है :-

(1) एल.टी.सी. कैश वाउचर स्कीम :- कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफी कम हुई जिससे छोटे-छोटे उद्योग धंधे बंद हो गये और कई लोग बेरोजगार हो गये । लोगों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन जैसे-जैसे कोरोना वैक्सीन की सफलता की खबरें सामने आ रही है और लोग कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं, उसके बाद अब अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटने लगी है । सरकार इस महामारी से हुए नुकसान के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठा रही है । उसी कड़ी में सरकार की ओर से नई एल.टी.सी. पॉलिसी का ऐलान किया गया है । पूर्व में चल रही एल. टी.सी. योजना में बदलाव करते हुए एल.टी.सी. वाऊचर की घोषणा की, जिसके तहत् कर्मचारी यात्री अपने निर्धारित किराये का तीन गुना तक खर्च कर सकता है, लेकिन कर्मचारी सिर्फ वही उत्पाद खरीद सकता है, जिस पर 12 प्रतिशत का जी.एस.टी.लगता हो तथा इसका भुगतान डिजिटल माध्यम से होना चाहिये । केन्द्र सरकार की ओर से एल.टी.सी. कैश वाउचर योजना की शुरूआत का मुख्य उद्धेश्य लोगों को अधिक खर्च करने की छूट देना और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाना है ।

(2) त्यौहार अग्रिम :- केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को त्यौहार के अवसर पर विशेष उपहार दिया गया है । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्यौहार में खर्च करने के लिए अग्रिम धन राशि देने की घोषणा की है । कोरोना संकमण के कारण भारत द्वारा संघर्ष कर अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए इस योजना को लागू किया है । इस योजना के तहत् 10 हजार रू. प्रदान किये जाते हैं जिस पर ब्याज नहीं देना होता है ।

(3) आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 :- सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत् आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 का शुभारंभ 20 मई 2020 को किया गया था । इसका उद्धेश्य वित्तीय संस्थाओं के अस्थायी नकदी प्रवाह का समाधान करना है ।

(4) अतिरिक्त पूँजीगत व्यय :- देश के सात राज्य छत्तीसगढ़, केरल, मध्यप्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, और तेंलंगाना ने वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही तक पूँजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था । इसे ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन के तौर पर इन राज्यों के पूँजीगत व्यय हेतु 16691 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई । इस प्रकार उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों से राज्यों को अपने पूँजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद मिली है ।

तालिका क्र. 1 - अतिरिक्त पूँजीगत व्यय की अनुमति

वर्ष 2021-22

क्र. सं.	राज्य	राशि (करोड़ में)
1	छत्तीसगढ़	895
2	केरल	2,256
3	मध्यप्रदेश	2,590
4	मेघालय	96
5	पंजाब	2,869
6	राजस्थान	2,593
7	तेलंगाना	5,392
	योग -	16,691

स्त्रोत :- https//gov.in press Released Page

उपरोक्त तालिका क. 1 से स्पष्ट है कि अतिरिक्त पूँजीगत व्यय की अनुमति सबसे अधिक तेलंगाना राज्य को दी गई दूसरे क्रम में राजस्थान है, यह अनुमति राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर दी गई है । पूंजीगत व्यय का सकारात्मक प्रभाव होता है, जिससे अर्थव्यवस्था की भावी उत्पादन क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की दर भी बढ़ जाती है ।

(III) आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 :-आत्म निर्भर भारत अभियान के 1.0 और 2.0 के दो चरण गुजरने के बाद 3.0 को लागू किया गया है, जिसमें 12 योजनाओं को शामिल किया गया है ।

(1) आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना, (2) इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, (3) आत्म निर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव स्कीम, (4) प्रधान आवास योजना (शहरी), (5) कंस्ट्रक्शन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सहायता, (6) घर बनाने वाले तथा घर खरीदने वालों के लिए आयकर राहत, (7) एग्रीकल्चर सब्सिडी फर्टिलाइजर, (8) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, (9) बूस्ट फार प्रोजेक्ट एम्पोर्ट्स, (10) कैपिटल एण्ड इंस्ड्रस्ट्रीयल स्टीमुलस, (11) कोविड-19 वेक्सीन के शोध तथा विकास के लिए, (12) बेस्ट फार रूरल एम्पालयमेन्ट

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा 27.1 लाख करोड़ का निवेश किया गया है । यह राशि देश के सकल घरेलू उत्पाद की 13 प्रतिशत है । वर्ष 2021 में आत्म निर्भर भारत अभियान के 3 पैकेज लांच किये गये थे जो 5 मिनी बजट के बराबर है । आत्म निर्भर भारत अभियान निम्नलिखित 5 स्तम्भों पर आधारित है ।

(1) अर्थव्यवस्था, (2) अधोसंरचना, (3) प्रौद्यागिकी संचालित प्रणाली, (4) बाइक्रेट डेमोग्राफी (5) मांग

आत्म निर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत आम बजट 2022 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है ।

तालिका क्र. 2 – आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत बजट प्रावधान

मद	बजट प्रावधान (करोड़ में)
सभी के लिए घर (शहरी)	18,000
ग्रामीण रोजगार	10,000
कोविड सुरक्षा वैक्सीन विकास	900
औद्योगिक अधोसंरचना	10,200
निर्यात परियोजना	3,000
आत्म निर्भर निर्माण को बढ़ावा	1,45,980
कृषि विकास	65,000
अधोसंरचना विकास	6,000
रोजगार योजना	6,000
योग -	2,65,080

स्तोत्र :- Budget Speech Union Budget 2022

उपरोक्त तालिका क. 2 से स्पष्ट है कि आत्म्म निर्भर भारत अभियान 3.0 में सबसे अधिक निर्माण क्षेत्र के लिए 145980 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है, जो कुल प्रावधान का 55 प्रतिशत है ।

निष्कर्ष - आत्मनिर्भर अभियान के दो चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके है और उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है । देश ने कोविड-19 से अर्थव्यवथा में आये अवसाद से उबरने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है । अब आत्म निर्भर अभियान का तीसरा चरण लागू है । हम सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे मालों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आसपास के बाजारों में इसे बेच सकते हैं । इस अभियान से आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा किया जा सकता है । यद्यपि भारत को आत्म निर्भर बनाने का सपना महात्मा गांधी ने देखा था । उन्होंने भारत को आत्म निर्भर बनाने हेतु स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया था किन्तु गरीबी और भुखमरी के कारण उनका सपना साकार नहीं हो सका । ऐसा विश्वास है कि आत्म निर्भर भारत अभियान देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।

सन्दर्भ -

1. https//pip.gov.in press released page
2. budget speech Union Budget 2022